

# न्यायपालिका

## न्यायपालिका से संबंधित शब्दावलि

### • वकील

- जो व्यक्ति LLB की पढ़ाई करने के बाद डिग्री प्राप्त करते हैं। उन्हें वकील कहा जाता है।

### • अधिवक्ता

- वे वकील जो LLB की डिग्री प्राप्त करने के बाद **बार काउंसिल द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण** करके पंजीकृत होते हैं और
- न्यायपालिका में अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार रखते हैं उन्हें **अधिवक्ता कहा जाता है।**

### • प्लीडर

- ऐसे अधिवक्ता जिनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है न्यायपालिका में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें **प्लीडर** कहते हैं।

### • अभियोक्ता

- ऐसे अधिवक्ता जो न्यायालय में अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं उन्हें **अभियोक्ता (Prosecutor)** कहते हैं। (सरकारी होता है।)

### • लोक अभियोक्ता या Public Prosecutor

- फौजदारी न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला सार्वजनिक अभियोक्ता कहलाता है।

### • न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट में अंतर - जिला स्तर पर न्याय देने की जिम्मेवारी रखने वाले

अधिकारी को न्यायाधीश कहते हैं। अर्थात् वह व्यक्ति जो अदालत में किसी मामले पर न्यायिक निर्णय देता है उसे न्यायाधीश कहते हैं।

- **मजिस्ट्रेट** - मजिस्ट्रेट दो तरह के होते हैं। एक सिविल मजिस्ट्रेट जो लोक सेवा से संबंधित होते हैं और दूसरा न्यायिक मजिस्ट्रेट - न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय के नीचे के पद सोपान में होते हैं जिन्हें अलग-अलग वर्गों में बाँटा गया है (1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CrPc की धारा 12) - किसी भी जिले में जिला न्यायालय के नीचे उच्च दर्जा प्राप्त न्यायिक अधिकारी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। इन्हें अधिकतम 7 वर्ष के कारावास की सजा देने या कारावास के साथ जुर्माना भी आरोपित करने की शक्ति है।

### • प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (CrPc धारा 11)

- ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नीचे होते हैं और इन्हें 3 वर्ष तक की सजा देने और 10 हजार तक का जुर्माना आरोपित करने का अधिकार है।

### • द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट (CRPC 11)

- ऐसे मजिस्ट्रेट को एक वर्ष की सजा देने और अधिकतम 5,000 का दंड या जुर्माना आरोपित करने का अधिकार है।

### • मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (CrPc की धारा 16)

- प्रति 10 लाख की आबादी वाले शहर में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है।

- ये प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं और उन्हीं के समकक्ष शक्तियां होती हैं।

#### न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति में अंतर:-

न्यायाधीश	न्यायमूर्ति
1. न्यायाधीश जिला स्तर पर होते हैं और इन्हें दीवानी तथा फौजदारी मामले में निर्णय देने का अधिकार होता है परंतु संविधान की व्याख्या करने का अधिकार इन्हें नहीं होता है।	1. जबकि न्यायमूर्ति उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में होते हैं और इन्हें अन्य अधिकार के अलावा संविधान की व्याख्या का भी अधिकार होता है।

#### डिक्री और आदेश में अंतर :-

डिक्री	आदेश
CPC धार 2 (2) के तहत एक डिक्री यानी हुक्मनामा एक न्याय निर्णयन है जिसकी प्रकृति औपचारिक होती है और इसमें न्यायालय के द्वारा विवाद में सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करती है। यह प्रारंभिक भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है।	जबकि आदेश CPC की धार 2 (14) के तहत दीवानी आदेश के रूप में देखी जाती है। यह आदेश अंतिम आदेश माना जाता है। इसके माध्यम से पक्षकारों के प्रक्रियात्मक विधिक अधिकार तथा पक्षकारों के आपसी संबंधों का निर्धारण किया जाता है। इसके खिलाफ अपील करने या न करने दोनों के प्रावधान होते हैं।

#### • सिविल प्रोसीजर कोड 1908 (2016 एवं 2018 में संशोधित)

- यह दीवानी प्रक्रिया से संबंधित है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि
- कोई भी दीवानी प्रक्रिया किस प्रकार से प्रारंभ होकर समाप्ति तक जाएगा।

#### • फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973-

- यह आपराधिक प्रक्रिया के मामलों से संबंधित है जिसमें पीड़ित से संबंधित एवं आरोपी से संबंधित, दोनों की जांच प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है।

#### • भारतीय दंड संहिता 1860 -

- यह सभी प्रकार के फौजदारी विधियों से संबंधित सभी मामलों को शामिल करता है।
- इसमें अपराध की परिभाषा एवं दंड की मात्रा का निर्धारण किया गया है।
- यह सेना पर लागू नहीं होता।

#### • साक्ष्य अधिनियम 1872 -

- भारतीय न्यायालयों में साक्ष्यों की स्वीकृति को अधिशासित करने या विनियमित करने से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं।
- कोर्ट मार्शल सहित सभी न्यायालयी प्रक्रियाओं में यह प्रयुक्त होता है (दीवानी एवं आपराधिक मामलों में)

## अधीनस्थ न्यायालय

- संविधान के भाग 06 , अनुच्छेद 233 से 237 के बीच इन न्यायालयों की व्यवस्था है।
- अनुच्छेद 233 के तहत राज्य में राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति , पदस्थापन एवं पदोन्नति होती है।

**इस पद पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यता का होना आवश्यक है :**

- संघ या राज्य सरकार की किसी सेवा में अभ्यर्थी न हो।
- 07 वर्षों से अधिवक्ता या प्लीडर की भूमिका निभा रहा हो।
- **नोट :-** राज्य के बार काउन्सिल द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा संबंधी परीक्षा ली जाती है और उसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय की संस्तुति पर नियुक्त किया जाता है।
- अनुच्छेद 234 के तहत जिला न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है।
- इन पदों पर राज्यपाल के द्वारा राज्य लोकसेवा आयोग तथा राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है।
- अधीनस्थ न्यायालयों पर राज्य उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है।

**अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय की संरचना :**

- अधीनस्थ न्यायालय की संरचना को **दो विशिष्ट वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :**
  - **पहला दीवानी :** जिला न्यायाधीश----- अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय ---- मुंसिफ न्यायालय।
  - **दूसरा फौजदारी :** सत्र न्यायाधीश ---- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय --- -- न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय।
- **नोट 01:**
  - जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश एक ही होते हैं।
  - दीवानी मामलों की सुनवाई के दौरान उन्हें जिला न्यायाधीश और आपराधिक मामलों की सुनवाई के दौरान सत्र न्यायाधीश कहा जाता है।
- **नोट 02 :**
  - **न्यायिक मजिस्ट्रेट** को अधिकतम **तीन वर्ष**; **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** को अधिकतम **07 वर्ष** और **सत्र न्यायाधीश** को **आजीवन कारावास** तथा **मृत्युदंड** देने का भी अधिकार है, जबकि दीवानी क्षेत्र में न्यायाधीशों की शक्तियां राज्यवार पृथक - पृथक हैं।

## उच्च न्यायालय

- संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 के बीच भाग 6 में।
- 2019 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं।
- सातवें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार, अनुच्छेद 231 के तहत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार दो या दो से अधिक राज्यों में विस्तारित किया जा सकता है एवं संबंधित व्यय या खर्च का विभाजन राष्ट्रपति द्वारा दोनों राज्यों के बीच में या संबंधित राज्यों के बीच में किया जाता है।
- अनुच्छेद 230 के अनुसार, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को संघ शासित क्षेत्रों में विस्तारित किया जा सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, लेकिन न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या का निर्धारण संविधान के तहत नहीं किया गया है।
- परिणामस्वरूप, इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा (वर्तमान समय में कॉलेजियम व्यवस्था के तहत नियुक्ति होती है)।
- **अनुच्छेद 217** के अनुसार, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए देश के किसी भी राज्य में या अलग-अलग राज्यों में **न्यूनतम 10 वर्षों** के न्यायिक अधिकारी के रूप में अनुभव या उच्च न्यायालय स्तर पर **10 वर्षों** एक लिए अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए।
- संविधान के **अनुच्छेद 219** के तहत, राज्य के राज्यपाल द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी (शपथ का प्रारूप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही होता है, जो **अनुसूची 3** में उल्लेखित है)।
- **अनुच्छेद 222** के तहत, कॉलेजियम की सिफारिश पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कॉलेजियम की सिफारिश पर की जा सकती है।
- **अनुच्छेद 221** के तहत, न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन संसद के द्वारा निर्धारित होता है, और राज्य की संचित निधि कोष पर भारित होता है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति **62 वर्ष** की आयु पर होती है और सेवानिवृत्ति के बाद **अनुच्छेद 220** के तहत प्रैक्टिस करने पर आवश्यक प्रतिबंध लगाया गया है।

### नोट:

- **अनुच्छेद 217 के तहत, सेवानिवृत्त होने के बाद अनुच्छेद 220 के अनुसार अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने पर निम्नलिखित प्रतिबंध है:**
  - सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में प्रैक्टिस की जा सकती है, परंतु उस उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस का अधिकार नहीं होगा जहां से सेवानिवृत्ति हुई है।
  - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही होती है।

नियमित न्यायाधीशों के अलावा विशिष्ट परिस्थितियों में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है

### 1. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश :

- अनुच्छेद 223
- नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में :
  - पद रिक्तता
  - अस्थायी तौर पर अनुपस्थिति
  - कर्तव्य निर्वहन में असमर्थता
- नोट : वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सामान्य तौर पर वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

### 2. अतिरिक्त न्यायाधीश :

- अनुच्छेद 224
- राष्ट्रपति द्वारा अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम 02 वर्षों के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकती है :
  - उच्च न्यायालय के कार्यबोझ में अस्थायी तौर पर वृद्धि
  - उच्च न्यायालय में लंबित कार्य

### 3. कार्यकारी न्यायाधीश:

- राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकती है :
  - यदि नियमित न्यायाधीश अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से कार्य करने में असमर्थ हो।
  - नियमित न्यायाधीश अस्थायी तौर पर मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभा रहा हो।
- नोट 01: उपर्युक्त दोनों(अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश) की नियुक्ति उन लोगों में से होगी, जिनके पास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की संवैधानिक योग्यता है।
- नोट 02: कार्यकारी न्यायाधीश के लिए निर्धारित समयावधि नहीं है।
- नोट 03: 62 वर्ष की आयु के बाद पद पर बने नहीं रह सकते।

### 4. सेवानिवृत्त न्यायाधीश:

- अनुच्छेद 224 A
- किसी भी समय विशेष में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी समय के लिए न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का निवेदन किया जा सकता है ( राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेने के बाद )।
- ऐसे न्यायाधीशों की शक्तियां और विशेषाधिकार नियमित न्यायाधीशों की तरह ही होते हैं, परन्तु इनके भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियों(उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार) को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है:

## 1. उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार :-

- वे सभी मामले जो प्राथमिक तौर पर उच्च न्यायालयों में लाये जाते हैं; जैसे सांसदों और विधायकों के निर्वाचन से संबंधित मुद्दे।
- मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा अन्य विधिक अधिकारों से संबंधित **अनुच्छेद 226**।
- संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई ऐसा मामला, जिसे अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया हो।
- उच्च मूल्य के प्रारंभिक दीवानी क्षेत्राधिकार कलकत्ता , बॉम्बे , मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालय को प्राप्त है।
- समुद्री विधियों से संबंधित मामले।
- **नोट :-** 1973 के पहले कलकत्ता , बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय के पास प्रारंभिक फौजदारी क्षेत्राधिकार भी हुआ करते थे, परंतु **1973 के सीआरपीसी** के प्रभावी होने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया।

## 2. अपीलीय क्षेत्राधिकार:

- उच्च न्यायालय प्राथमिक तौर अपीलीय क्षेत्राधिकार के लिए जाने जाते हैं; **इस क्षेत्राधिकार को दो वर्गों में बांटा जा सकता है :**
  - दीवानी मामले
  - फौजदारी मामले

### दीवानी मामले :

- **दीवानी मामलों से संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकार इस प्रकार हैं :**
  - **प्रथम अपील** , अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के खिलाफ विधि के प्रश्न तथा तथ्य के आधार पर उच्च न्यायालय में की गयी अपील को प्रथम अपील कहा जाता है।
  - इस तरह का अपील निर्धारित धन राशि की सीमा को ध्यान में रखकर होता है।
  - **द्वितीय अपील**, इसके तहत केवल विधि के प्रश्न के आधार पर अपील की जा सकती है।
- **नोट 01 :**
  - 90 दिनों के भीतर अपील करने की अनिवार्यता होती है।
- **नोट 02 :**
  - विषय से संबंधित पक्षों की सहमति से यदि कोई हुक्मनामा जारी किया गया है, तो अपील का कोई अधिकार नहीं होता।
- कलकत्ता , बॉम्बे , मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालयों में अंतरान्यायालयी अपील के भी प्रावधान हैं।
- इन न्यायालयों में एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ खंडपीठ में अपील की जा सकती है और इसके लिए अधिकतम 30 दिनों का समय होता है।
- 1997 में, **चंद्र कुमार बनाम भारत संघ** के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रशासनिक एवं अन्य न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ राज्य उच्च न्यायालय में खंडपीठ के समक्ष अपील की जा सकती है।

## आपराधिक / फौजदारी मामलों से संबंधित अधिकार :

- फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय को **निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं :**
  - सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ ( यदि सजा 07 वर्ष से अधिक की है )।
  - यदि अधीनस्थ न्यायालय ने मृत्युदंड दिया है, तो अभियुक्त के द्वारा अपील की जाए या नहीं , उच्च न्यायालय से स्वीकृति मिलने के बाद ही इस दंड क्रियान्वित किया जा सकता है।

## न्यायाधिकरणों के ऊपर पर्यवेक्षण :

- अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अन्य न्यायालयों तथा **न्यायाधिकरणों के ऊपर पर्यवेक्षण** का अधिकार है ( सैन्य न्यायालय को छोड़कर )।
- इस तरह का **पर्यवेक्षण एवं अधीक्षण का कार्य प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों ही प्रकृति का हो सकता है।**
- उच्च न्यायालय के द्वारा **स्वयं की पहल से भी संबंधित कार्य** किए जा सकते हैं और इसके लिए किसी पक्ष विशेष द्वारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती।
- **पर्यवेक्षण की यह शक्ति निम्नलिखित सीमाओं से युक्त है :**
  - क्षेत्राधिकार का अभाव या अतिरेक
  - प्राकृतिक न्याय का गंभीर उल्लंघन
  - विधि की त्रुटि
  - उच्चतर न्यायालय की विधि का अपमान
  - अन्याय का स्पष्ट रूप से व्यक्त होना
- उच्च न्यायालय को **अभिलेख का न्यायालय** भी कहा जाता है; अर्थात् अधीनस्थ न्यायालयों के लिए इसके निर्णय विधिक सन्दर्भ और मिसाल के तौर पर प्रयुक्त किए जाएंगे।
- साथ ही साथ, **उच्च न्यायालय अवमानना से संबंधित मुद्दों** पर सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही निर्णय लेने की शक्ति रखता है।
- सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय संघ सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के विधायी एवं कार्यपालिका कार्यों की संवैधानिक वैद्यता की जांच करने से संबंधित न्यायिक समीक्षा का अधिकार रखता है ( **अनुच्छेद 226**)।

## सर्वोच्च न्यायालय

- **28 जनवरी, 1950** को संघीय न्यायालय के स्थान पर हुई ( 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी )।
- भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था अपनाई गयी है , जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है।
- संविधान के **भाग 05** और **अनुच्छेद 124 से 147** के बीच संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
- संसद को इन प्रावधानों को विनियमित करने का अधिकार है।
- 1958 के पहले सर्वोच्च न्यायालय संसद भवन से ही कार्य करता था जिसके भवन का नाम था " **हॉल ऑफ़ प्रिंसेस " या " चैंबर ऑफ़ प्रिंसेस "** ( 1937 से 1950 तक संघीय न्यायालय भी यहीं से कार्य करता था )।
- मौलिक संविधान में **न्यायाधीशों की कुल संख्या 08 ( 01 + 07 )** थी, वर्तमान समय में यह **34 ( 01 + 33 )** है।
- **नोट :-** 1960 में 13 ; 1977 में 17 और 1986 में यह संख्या 25 की गयी थी( **अनुच्छेद 124 ( 1 )** )।

### न्यायाधीशों की नियुक्ति / कॉलेजियम व्यवस्था:

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 124 ( 2 )** के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा **मुहरबंद हस्ताक्षर** के तहत आदेश द्वारा होगी।
- 1993 के पूर्व तक राष्ट्रपति द्वारा यह नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के **मुख्य न्यायाधीश के साथ सामान्य विचार - विमर्श के आधार** पर होती थी।
- परंतु, न्यायपालिका के निर्णयों से समय के साथ इसकी व्याख्या बदली और **कॉलेजियम व्यवस्था** का विकास हुआ, जिससे संबंधित प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं :

#### 1. एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ ( प्रथम जज केस ):

- सर्वोच्च न्यायालय ने विचार - विमर्श को सामान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया, अर्थात विचारों के आदान - प्रदान तक सीमित रखा और किसी भी तरह से उसे बाध्यकारी या सहमति की आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया।

#### 2. सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोशिएशन / द्वितीय जज केस , 1993:

- पूर्व के निर्णय को बदलते हुए मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को बाध्यकारी बनाया गया।
- नए निर्णय के अनुसार दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार-विमर्श करने के बाद ही मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपनी सलाह देंगे।

#### 3. न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति केस / थर्ड जज / तृतीय जज केस, 1998:



- सर्वोच्च न्यायालय ने विचार - विमर्श की प्रक्रिया को अपेक्षाकृत और जटिल और व्यापक बनाया।
- इसके तहत मुख्य न्यायाधीश चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ विचार - विमर्श करेंगे और यदि दो न्यायाधीश विरोधी विचार रखेंगे तो विचार - विमर्श की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जायेगी।
- अर्थात्, मुख्य न्यायाधीश ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देंगे और यदि दिया गया तो वह बाध्यकारी नहीं होगा।

#### 4. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ / चतुर्थ जज केस, 2015:

- 99 वें संविधान संशोधन, 2014 के माध्यम से अनुच्छेद 124 ( A ) के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के लिए संबंधित अधिनियम लागू किया गया, ताकि कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त किया जा सके।
- परंतु, सर्वोच्च न्यायालय ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत ( आधारभूत ढांचा ) का हवाला देते हुए अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया।
- न्यायपालिका के अनुसार, इस अधिनियम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होती।

#### नोट 01 :

- प्रस्तावित आयोग में शामिल होने वाले सदस्य थे- मुख्य न्यायाधीश , 02 वरिष्ठतम न्यायाधीश , विधि मंत्री और 02 प्रख्यात विधिवेत्ता।

#### नोट 02 :

- दो प्रख्यात विधिवेत्ताओं का मनोनयन एक समिति द्वारा होना था; जिसमें प्रधानमंत्री , सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते।

#### अनुच्छेद 124 ( 3 ) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद हेतु योग्यता का प्रावधान :-

- भारत का नागरिक।
- उच्च न्यायालय स्तर पर न्यूनतम 05 वर्ष के न्यायाधीश का अनुभव।
- उच्च न्यायालय स्तर पर 10 वर्षों के लिए अधिवक्ता का अनुभव।
- राष्ट्रपति की नजर में कोई प्रतिष्ठित या सम्मानित विधिवेत्ता।
- नोट : संविधान में कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं दी गयी है।

#### न्यायाधीशों द्वारा शपथ :

- अनुच्छेद 124(6) के राष्ट्रपति के द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा अनुसूची 03 में दिए गए प्रारूप के तहत शपथ दिलाई जाती है, जो चार वर्गों में विभाजित है :
  - संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा
  - देश की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा
  - बगैर किसी भय या पक्षपात या प्रेम या द्वेष के आधार पर
  - संविधान तथा विधि की रक्षा

## सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल ( अनुच्छेद 124 ( 2 ) ) :

- कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं, परंतु सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष।
- **नोट :-** राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पद से हटा जा सकता है।

## न्यायाधीशों को हटाना :

### हटाने की शर्तें:

- राष्ट्रपति के द्वारा अयोग्यता या दुर्व्यवहार के आधार पर।
- संसद की विशेष संस्तुति (विशेष बहुमत) आवश्यक।

### हटाने की प्रक्रिया:

- लोकसभा में 100 सदस्य या राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा हटाने से संबंधित प्रस्ताव लाना आवश्यक।
- स्वीकृति या अस्वीकृति पीठासीन अधिकारी का विवेकाधिकार।
- प्रस्ताव की स्वीकृति की स्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन
- सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश
- किसी एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता।
- समिति द्वारा जांच के बाद आरोप यदि सिद्ध पाया जाता है, तो संबंधित प्रस्ताव (मौलिक प्रस्ताव) पर संसदीय प्रक्रिया प्रारंभ।
- संसद के दोनों सदनों में पृथक-पृथक रूप से विशेष बहुमत (कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक तथा उपस्थित का दो तिहाई) से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक।
- प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जाना।
- **नोट:-** सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण **न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968** के द्वारा किया गया है।
- **नोट:-** अब तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है।
- हालांकि, 1991 से 1993 के बीच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था, आरोप भी सिद्ध हुए थे, परंतु वह लोकसभा में पारित नहीं हो सका।

## नियमित न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायाधीश

- कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश (अनुच्छेद 126)-
- नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में-
- पदरिक्तता
- अस्थाई तौर पर अनुपस्थिति
- कर्तव्य निर्वहन में अक्षमता
- तदर्थ न्यायाधीश (अनुच्छेद 127)-
- नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा परंतु राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से
- गणपूर्ति के अभाव में अल्पकाल के लिए
- संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक

- नियुक्त हो रहे न्यायाधीश के लिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता होना आवश्यक
- नियुक्त न्यायाधीश के वेतन-भत्ते एवं क्षेत्राधिकार नियमित न्यायाधीशों की तरह
- सेवानिवृत्त न्यायाधीश (अनुच्छेद 128)-
- राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से मुख्य न्यायाधीश की प्रार्थना पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लाया जा सकता है।
- शक्ति एवं विशेषाधिकार नियमित न्यायाधीशों की तरह।
- भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा।

### सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान

- नियुक्ति, सेवानिवृत्त, वेतन-भत्ता एवं हटाने से संबंधित प्रावधान संविधान में निहित।
- कार्यकाल के दौरान सेवा-शर्तों में कोई नकारात्मक बदलाव नहीं।
- हटाने की प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी परिस्थिति में न्यायाधीशों के व्यवहार पर कोई बहस नहीं।
- सेवानिवृत्ति के बाद कोई लाभ का पद नहीं और अधिवक्ता के रूप में कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध।
- न्यायपालिका की अवमानना पर सुनवाई करने तथा दंडित करने का अधिकार।
- नोट- अनुच्छेद 130 के तहत राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा देश के किसी भी भाग में सर्वोच्च न्यायालय का पीठ स्थापित किया जा सकता है।
- नोट- अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की कार्य-प्रक्रिया का निर्धारण किया जा सकता है (राष्ट्रपति के परामर्श से)।
- अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से न्यायालय संबंधी नियमावली का निर्धारण कर सकता है। लेकिन तब तक जब तक संसद ने कोई विधि नहीं बनाई हो।

### सर्वोच्च न्यायालय के कार्य-क्षेत्र एवं शक्तियां

- इन्हें निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है-
- मौलिक या प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131)
- अपीलीय क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 132 से 134A)
- परामर्शदायी क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143 और 145)
- कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एवं अवमानना संबंधी शक्ति (अनुच्छेद 129)
- विभिन्न प्रकार की विशिष्ट याचिकाएं, जैसे- विशेष अनुमति या विशेष अवकाश याचिका, पुनरसमीक्षा याचिका, उपचारात्मक याचिका।

### प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार

- संघ-राज्य संबंधी विवाद
- राज्य-राज्य संबंधी विवाद
- संघ एवं राज्य बनाम अन्य राज्यों का विवाद
- नोट- राजनीतिक प्रकृति के विवाद या निजी व्यक्ति संबंधी विवाद इसके दायरे में नहीं आते।
- निम्नलिखित संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते-
- अनुच्छेद 262 एवं 280

- संघ एवं राज्य के बीच वाणिज्यिक प्रकृति के विवाद
- राज्यों द्वारा संघ के विरुद्ध क्षतिपूर्ति संबंधी मामला
- संविधान पूर्व से संबंधित किसी संधि के कारण उत्पन्न विवाद
- किसी संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद जो न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में नहीं है।
- नोट- कोई भी विषय प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के तहत है या नहीं, इसपर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होगा।
- 1961 में पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघवाद प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का पहला केस था, जिसका संबंध कोल वियरिंग एरिया (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 से था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर संघ के पक्ष में निर्णय दिया।
- अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्राथमिक तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो सकती है।

## अपीलीय क्षेत्राधिकार

- उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों पर अपील-
- संवैधानिक मामले (अनुच्छेद 132)- उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद संबंधित न्यायालय के विरुद्ध अपील संभव।
- अपील का आधार- संविधान की व्याख्या का प्रश्न या मौलिक विधि व्याख्या का प्रश्न (संविधान से संबंधित)।
- दीवानी मामले (अनुच्छेद 133)- उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर निम्नलिखित परिस्थितियों में-
- सार्वजनिक महत्व के विधि संबंधी मौलिक प्रश्न।
- ऐसा कोई विषय जिसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही होना चाहिए।
- फौजदारी मामले (अनुच्छेद 134)- प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं।
- निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रभावी-
- यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बदलकर (बरी करने से संबंधित) किसी व्यक्ति को 10 वर्ष या आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा दे दी हो।
- अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमा लेकर उपर्युक्त निर्णय दे दिया हो।
- नोट- 1970 में संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाते हुए मृत्युदंड के साथ-साथ, आजीवन कारावास एवं 10 वर्ष की सजा को भी इस अनुच्छेद में शामिल किया।
- अनुच्छेद 134A- इसके तहत वे फौजदारी मामले आते हैं जिनसे संबंधित अपील के पहले उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

## विभिन्न प्रकार की याचिकाएं

### विशेष अवकाश याचिका

- अनुच्छेद 136
- सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार
- याचिकाकर्ता के द्वारा अपील करने की अनुमति मांगना।
- संवैधानिक, दीवानी एवं आपराधिक मामलों में ऐसा संभव।
- सैन्य न्यायाधिकरण या कोर्ट मार्शल की स्थिति में यह लागू नहीं, परंतु अन्य न्यायाधिकरणों पर लागू।

## पुनरसमीक्षा याचिका

- अनुच्छेद 137 और 135 के तहत बनी नियमावली के अंतर्गत
- न्यायपालिका द्वारा अपने ही निर्णय पर पुनर्विचार संभव।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका के खारिज होने के बाद भी उच्च न्यायालय में पुनर्विचार संभव।
- उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के 30 दिनों के भीतर पुनरसमीक्षा याचिका देना आवश्यक।
- पीड़ित व्यक्ति या कोई भी अन्य व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है।
- मृत्युदंड को छोड़कर अन्य मामलों में मौखिक सुनवाई नहीं।
- किसी नए साक्ष्य के आने या आंकड़ों में त्रुटि पाए जाने की स्थिति में ऐसी याचिका संभव।
- उसी पीठ द्वारा सुनवाई जिसने पूर्व निर्णय दिया था।

## उपचारात्मक याचिका

- अनुच्छेद 137 द्वारा विनियमित
- रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा केस 2002 से प्रारंभ
- प्रक्रियाओं के उल्लंघन या पूर्ण न्याय के न होने पर ऐसी याचिका संभव
- वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक
- तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा भेजा जाना आवश्यक
- याचिकाकर्ता द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन सिद्ध किया जाना आवश्यक, अन्यथा उदाहरण योग्य दंड दिया जा सकता है।

## परामर्शदायी क्षेत्राधिकार

- अनुच्छेद 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं-
- विधि का प्रश्न या लोक महत्व के मुद्दे
- संविधान पूर्व की संधियों से संबंधित कोई विवादित विषय
- प्रथम के तहत सलाह देने की अनिवार्यता नहीं परंतु द्वितीय के तहत सलाह देना आवश्यक।
- किसी भी परिस्थिति में दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं।
- अनुच्छेद 145 के तहत दी गई सलाह बाध्यकारी होती है, जिसका संबंध कुछ संवैधानिक पदों जैसे- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने और संविधिक पदों जैसे NHRC, CVC के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने से संबंधित।

## अभिलेख का न्यायालय एवं अवमानना संबंधी शक्ति

- अनुच्छेद 129
- अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है- न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, कार्य तथा अपनाई गई प्रक्रिया मिसाल के तौर पर अधीनस्थ न्यायालय पर लागू होंगे।
- अवमानना का तात्पर्य है- न्यायपालिका की गरिमा और उसकी प्रभावशक्ति को कम करने का प्रयास तथा न्याय प्रशासन में जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करना।
- अवमानना संबंधी प्रावधान अवमानना अधिनियम, 1971 द्वारा विनियमित होता है।
- सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को ही यह शक्ति प्राप्त।

- अवमानना का वर्गीकरण-
- दीवानी अवमानना- अधिनियम की धारा 2(b) के तहत निर्णय की अवज्ञा करने या आदेश न मानने या हलफनामे का जानबूझकर उल्लंघन करने या दुरुपयोग करने पर।
- आपराधिक अवमानना- अधिनियम की धारा 2(c) के तहत न्यायपालिका की शक्ति को कम करने का षड्यन्त्र करने या जानबूझकर न्यायिक प्रक्रियाओं में व्यवधान उत्पन्न करने या न्यायिक प्रशासन में व्यवधान उत्पन्न करने।
- नोट- अधिनियम की धारा 15 के अनुसार महान्यायवादी की सहमति से प्रक्रिया चलाना संभव (सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी पहल कर सकता है)।
- 1961 में तत्कालीन अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एच एन सान्याल की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर उपर्युक्त प्रावधान लाया गया था।
- अवमानना सिद्ध होने पर अधिकतम 6 माह के कारावास या 2000 रुपए का आर्थिक दंड या दोनों दिया जाना संभव।
- अधिनियम की धारा 20 के तहत एक वर्ष से अधिक पुराने मुद्दे को अवमानना का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता।

### अवमानना संबंधी प्रावधान के पक्ष में विचार

- न्यायपालिका के प्रति विश्वास सुनिश्चित करना।
- सम्मान की रक्षा करना और न्यायपालिका की साख पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकना।
- न्यायिक संस्थाओं की सुरक्षा को पर्याप्त शक्ति देना और मनोबल बनाए रखना।

### अवमानना संबंधी प्रावधान के विपक्ष में विचार

- जन स्वतंत्रता के विरुद्ध
- संवैधानिक भावना के विरुद्ध (अनुच्छेद 19(1))
- परिभाषा की अस्पष्टता एवं भिन्न-भिन्न व्याख्या
- नोट- 2018 में विधि आयोग ने परामर्श देते हुए कहा की अवमानना संबंधी प्रावधान को दीवानी मामलों तक सीमित रखना चाहिए और परिभाषा स्पष्ट करनी चाहिए।
- ब्रिटेन में इससे संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं जबकि कनाडा में इसका तभी इस्तेमाल होता है जब न्यायपालिका तत्काल कोई खतरा उत्पन्न हुआ महसूस करती है।
- यूएसए में संबंधित प्रावधान होने के बावजूद इसका इस्तेमाल नहीं होता और न्यायाधीश स्वयं के व्यवहार और निर्णय की गुणवत्ता के आधार पर अपने सम्मान की रक्षा करते हैं।

### सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांत

- पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत (अनुच्छेद 13)
- अधित्याग का सिद्धांत (अनुच्छेद 21)
- सम्भावित अधिरोहण का सिद्धांत (गोलकनाथ केस)
- निहितार्थ सीमितता का सिद्धांत (केशवानंद भारती केस में अपनाया गया, जिसको कोई शक्ति प्राप्त है उसकी शक्ति असीमित नहीं है, उस पर भी कोई नियंत्रण है जैसे आधारभूत ढांचा )

- उदारवादी एवं सौहार्द्रपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत (DPSP और मौलिक अधिकार के बीच सम्बन्धों का अध्ययन करते वक्त )

## सार एवं तत्व का सिद्धांत

- तत्व अर्थात् शुद्ध प्रकृति और सार का तात्पर्य है अति महत्वपूर्ण
- यदि कोई सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व या तथ्य घटनावश या किसी विशेष परिस्थिति में किसी अन्य के दायरे में या क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा हो परन्तु इरादा या नीयत गलत न हो, उद्देश्य महत्वपूर्ण हो तो उसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा
- यह सिद्धांत सामान्य तौर पर 7 वीं अनुसूची से सम्बन्धित विवादों को निपटाने पर लागू किया जाता है
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 और 254 से इसका प्राथमिक तौर पर सम्बन्ध है
- इस सिद्धांत को पहली बार कनाडा के संविधान में स्वीकार किया गया था और भारत में इसे 1935 के अधिनियम के तहत लाया गया था
- आकस्मिकता या सहायक संधियों का सिद्धांत, तत्व और सार सिद्धांत की अतिरिक्त व्याख्या से विकसित हुआ है, इस सिद्धांत को तब लागू किया जाता है जब किसी मामले या प्रश्न में प्रमुख विधियों की सहायता करने की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत का इस्तेमाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2, 3, 4 और 169 के संदर्भ में किया जाता है

## छद्म विधायन का सिद्धांत

- इस सिद्धांत को संविधान के साथ धोखाधड़ी में कहत हैं। जब किसी विधायिका के पास किसी विषय विशेष पर प्रत्यक्ष रूप से विधि बनाने की शक्ति नहीं है तो वह शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से भी प्राप्त नहीं होगी
- यदि अप्रत्यक्ष रूप से विधि बनाने का प्रयास किया गया तो वह असंवैधानिक घोषित किया जा सकेगा
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 से इसका सम्बन्ध है।

## क्षेत्रीय गठजोड़ का सिद्धांत

- इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की विधायिकता और संघ की विधायिका के क्षेत्राधिकार का निर्धारण होता है
- राज्य की विधायिका द्वारा बनायी गयी विधियां राज्य की सीमा के बाहर लागू नहीं होती जबकि संघ की विधियां भारतीय भौगोलिक क्षेत्र से बाहर भी लागू होती हैं
- इस सिद्धांत का सम्बन्ध संविधान के अनुच्छेद 245 से है

## असंगतता का सिद्धांत

- इस सिद्धांत का सम्बन्ध अनुच्छेद 254 से है
- समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और राज्य दोनों को विधि बनाने की शक्ति है परन्तु यदि राज्य द्वारा बनायी गयी विधि संघ की विधि से असंगतता रखती है तो उतनी मात्रा में वह असंवैधानिक घोषित या अमान्य घोषित कर दी जायेगी

## मिसाल या पूर्व निर्णय का सिद्धांत

- इस सिद्धांत के तहत उच्चतर न्यायालय के पूर्व निर्णयों को बाध्यकारी बनाया जाता है अर्थात् उच्चतर न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा माने जाते हैं या स्वीकृत किये जाते हैं

## कहावतें या विचार (डिक्टम या उक्ति)

### रेसज्युडीकाटा

- रेस का अर्थ होता है विषयवस्तु और ज्युडीकाटा का अर्थ होता है निर्णय दिया गया
- इसका अर्थ निकलता है- किसी विषय वस्तु पर न्याय किया गया मामला
- सरल अर्थ में यदि किसी मामले पर न्यायपालिका ने निर्णय दे दिया है, एक न्यायालय के समक्ष मुद्दे का निर्णय पहले ही किसी अन्य न्यायालय द्वारा और उन्हीं पक्षों के बीच किया जा चुका है तो अदालत ऐसे मामलों को खारिज कर देगी
- रेसज्युडीकाटा का सिद्धांत दीवानी और फौजदारी दोनों प्रणालियों पर लागू होता है
- रेसज्युडीकाटा अर्थात् पुनान्याय का सिद्धांत, न्याय और इमानदारी निष्पक्ष प्रशासन को बढ़ावा देने के मकसद से लागू किया जाता है

### रेसज्युडीकाटा की पूर्वशर्तें

- कुशल न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा न्यायिक निर्णय
- अंतिम एवं बाध्यकारी
- गुण एवं दोष के आधार पर लिया गया निर्णय
- निष्पक्ष सुनवाई

### ओबाइडर/ओबिडर डिक्टम

- इसका अर्थ है - वैसे ही कही गयी बातें
- न्यायपालिका द्वारा दिए गए वो बयान या कानूनी राय या टिप्पणियाँ जो सीधे तौर पर निर्णय से सम्बन्धित नहीं होते
- रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह की अपनी राय अनुच्छेद 142 के तहत रखी

### प्रोप्रियम डिक्टम

- प्रोप्रियम का शाब्दिक अर्थ होता है गुण धर्म
- जब न्यायाधीश के द्वारा अपना निर्णय देते वक़्त अपना मत भी दिया जा रहा हो या अपना सामान्य विचार भी दिया जा रहा हो तो उसे प्रोप्रियम डिक्टम कहते हैं अर्थात् इसके तहत न्यायाधीश मुद्दे से सम्बन्धित अपना आकलन या अपना विचार भी निर्णय के साथ रख देते हैं

### विभिन्न प्रकार की याचिकाएं

- भारतीय संविधान के तहत प्रमुख रूप से तीन याचिकाएं होती हैं यथा

### विशेष अनुमति याचिका-



- अनुच्छेद 136 तहत सर्वोच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ याचिका दायर करने की प्रार्थना की जा सकती है
- सर्वोच्च न्यायालय का यह विवेकाधिकार है
- यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया तो भी अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय की पुनर्समीक्षा कर सकते हैं

### पुनर्समीक्षा याचिका

- इसका सम्बन्ध अनुच्छेद 137 से है
- इसके तहत न्यायपालिका से उसके स्वयं के निर्णय की समीक्षा हेतु याचिका की जा सकती है
- याचिकाकर्ता का पक्षकार होना जरूरी नहीं है
- पुनर्समीक्षा याचिका के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है
- इसमें कोई मौखिक बहस नहीं होती
- यह उन्हीं न्यायाधीशों की पीठ में भेजा जाता है जिन्होंने पहले निर्णय दिया था
- यदि किसी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति होती है तो वरीयता को ध्यान में रखते हुए उस स्थान पर दूसरे न्यायाधीश को शामिल कर लिया जाता है

### उपचारात्मक याचिका

- इसका सम्बन्ध भी अनुच्छेद 137 से है
- न्याय की समाप्ति, प्रक्रिया के दुरुपयोग और प्राकृतिक न्याय की समाप्ति को रोकने के मकसद से इस याचिका का इस्तेमाल होता है
- निर्णय दिए जाने के 30 दिनों के भीतर (पुनर्समीक्षा के बाद) ऐसी याचिका दायर की जा सकती है
- यह उपचारात्मक याचिका नियमित न हो कर दुर्लभ प्रकृति की मानी गयी है
- 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समक्ष ऐसी याचिका लायी जाती है और यदि बहुमत से उन न्यायाधीशों ने याचिका को स्वीकार कर लिया तो निर्णय देने वाली पीठ के पास पुनर्विचार के लिए उसे भेज दिया जाता है
- पुनर्विचार के समय एमिकस क्युरी अर्थात् न्यायपालिका मित्र का सहयोग लिया जा सकता है
- नोट- यदि याचिका कर्ता की भावना गलत पायी गयी तो उसे उदाहरण प्रस्तुत करने योग्य दंड दिया जा सकता है।

